न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
12/2021	2021/24	01.02.2021	03.08.2022 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1–सुवालाल पुत्र आनाराम उम्र 70 साल

2–जगदीश पुत्र झूंथाराम उम्र 61 साल

समस्त जाति मेघवंशी बलाई निवासी ग्राम नांगल–भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

वादीगण

बनाम

1. भूराराम पुत्र भोलूराम उम्र 62 साल जाति मेघवंशी बलाई निवासी ग्राम नांगल–भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. मेवा देवी पुत्री मुक्तिलाल पत्नी रामपाल उम्र 50 साल
3. सुशीला देवी पुत्री मुक्तिलाल पत्नी श्यामलाल उम्र 46 साल
4. सुमन देवी पुत्री मुक्तिलाल पत्नी पूर्णमल उम्र 40 साल
   जाति बलाई हाल निवासी ससुराल ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
5. संतोष देवी पुत्री मुक्तिलाल पत्नी बाबूलाल उम्र 44 साल
6. सुरजी देवी पुत्री मुक्तिलाल पत्नी सन्तूराम उम्र 48 साल
   जाति बलाई हाल निवासी ससुराल ग्राम रोयल तह0 खण्डेला जिला सीकर (राज0)
7. उप पंजियक तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
8. पटवार हल्का हांसपुर तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
9. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
10. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
11. महेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति बलाई निवासी ग्राम नांगल–भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.29 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

01/08/22

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित–

श्री हणमान राम सामोता, औमप्रकाश शर्मा एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0, प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक
श्री दीपक बाजिया एड0 प्रतिवादी संख्या 11 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से

वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 252, 253, 254, 258, 259 कुल किता– 5 कुल रक्बा 3.1200 हैक्टर तन ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसमें वादी संख्या–1 हिस्सा 1/3 एवं वादी संख्या–2 हिस्सा 1/6 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं बाकी हिस्सा की खातेदारी भू–अभिलेख जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 के नाम है। उक्त वर्णित भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। जिसका अभी तक विधिक विभाजन नही हुआ है तथा वादीगण अपनी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रतिवादिया संख्या–2 ता 6 के नाम दर्ज हक हिस्सा खातेदारी की भूमि पर स्वर्गीय मुक्तिलाल का दत्तक पुत्र महेन्द्र काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 उक्त वर्णित कृषि भूमि को बिना विधिक तकास्मा करवाये दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगो को बेचान रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह विशिष्ट भू–भाग पर सड़क पर लगती हुयी भूमि पर लाठी व ताकत के बल पर करवाने पर उतारू है तथा वादीगण को उनकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है तथा भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने पर उतारू है। जिसका प्रतिवादी संख्या–1 को कोई अधिकार किसी किस्म का नही है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है एवं भूमि का विधिक विभाजन करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को दिनांक 15–01–2021 को धमकी दी कि भूमि को बिना विधिक तकास्मा कराये दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगो को बेचान रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा मनचाही जगह सड़क पर लगती हुयी भूमि पर करवाने, वादीगण को उनकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करवाने तथा कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करवाने की धमकी देने पर माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वकील वादीगण ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 252,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.29 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

253, 254, 258, 259 कुल किता– 5 कुल रक्बा 3.1200 हैक्टर तन ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 के मध्य विधिक तकास्मा बाई मीटस एण्ड बाउन्डस करवाया जाकर वादीगण को उनकी हक हिस्सा एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या–1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एड0 उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा वकील प्रतिवादी सख्या 1 के द्वारा वादपत्र के बंटवारा का होने से पक्षकारान् के कब्जे काश्त व हक हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने बाबत सहमति व्यक्त करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किये है। वकील प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री हेतु सहमति प्रदान कर दिये जाने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुने जाने व विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.02.2022 को जारी की जाकर विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 361/रीडर/2022 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1703/भू.अ./2022 दिनांक 16.06.2022 के ... हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.29 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

01/08/22
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत होते हुए आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वही वकील प्रतिवादी संख्या 11 ने प्रकरण में जवाब दावा पेश नहीं कर प्रतिवादी संख्या 11 का हिस्सा दर्ज करते हुए प्रारम्भिक डिक्री से अन्तिम डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होने बाबत पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया है। प्रकरण में दौराने बहस उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। जिस पर उपस्थित पक्षकारान् प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना कब्जा व पक्के मकानात् मौके पर भूमि खसरा नम्बर 252 में होना तथा भूमि खसरा नम्बर 253 के अग्र भाग (मुख्य सड़क से लगता हुआ) में एक भूखण्ड का विक्रय इकरारनामा करने बाबत अवगत कराते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व 11 के मध्य विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 16.06.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को ... किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.29 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

01/08/22
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रविष्टी

क्र.सं.	काश्तकारों के नाम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टे.में)	किस्म	लगान (रू. में)
1.	भूराराम पुत्र भोलूराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार	252 253/1 258/1 259/1 कुल किता–4	0.03 0.30 0.32 0.38 कुल रकबा 1.03 है0	बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3	0.06 0.60 0.63 0.75 कुल लगान 2.04
2.	सुवालाल पुत्र आनाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर	254 253/3 258/3 259/3 कुल किता –4	0.02 0.33 0.33 0.36 कुल रकबा 1.04 है0	बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3	0.04 0.65 0.66 0.72 कुल लगान 2.07
3.	जगदीश पुत्र झूंथाराम हिस्सा 1/2, महेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/2, समस्त जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार	259/2 258/2 253/2 कुल किता –[illegible]	0.40 0.33 0.32 कुल रकबा [illegible]5 है0	बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3	0.79 0.65 0.63 कुल लगान 2.07

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.29 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

01/08/22
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तुर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2022/1703 दिनांक 16.06.2022 के द्वारा प्राप्त संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

03/08/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/08/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.29 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested